आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/948 दिनांक – 29.12.2021

छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किये जाते है –

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
2.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
3.	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
4.	**कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :–**			
	1. उच्च शिक्षा विभाग–12वीं उतीर्ण (सभी वर्ग की छात्राओं हेतु)	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
	3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
	4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग)	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
	5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2021–22	03.01.2022	15.02.2022
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2021–22	03.01.2022	15.02.2022

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/